भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 सितम्बर, 2011

संख्या का०आ० 76/पं०अ० 16/1952/धा० 22/2011.—पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम 16) की धारा 22 की उपधारा (2) तथा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब यात्री तथा माल कराधान नियम, 1952, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम पंजाब यात्री तथा माल कराधान (हरियाणा संशोधन) नियम, 2011 कहे जा सकते हैं।

(2) ये 03 मई, 2011 से लागू हुए समझे जायेंगे।

2. पंजाब यात्री तथा माल कराधान नियम, 1952 में, नियम 9 में,—

(i) उप-नियम (2क) में विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्न सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"फुल बॉडी बस (52/54 बैठने की क्षमता)	मिनी बस (30/32 बैठने की क्षमता)
₹ 25000/-	₹ 12500/-";

(ii) उप-नियम (2ख) में, "प्रथम मार्च, 2007 से 16000/- रुपये प्रति मास" शब्दों, चिह्नों तथा अंकों के स्थान पर, "03 मई, 2011 से ₹ 25000/- प्रति मास" शब्द, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उप-नियम (2ग) में, विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"फुल बॉडी बस (52/54 बैठने की क्षमता)	मिनी बस (30/32 बैठने की क्षमता)
₹ 25000/-	₹ 12500/-";

(iv) उप-नियम (2घ) में,—

(क) खण्ड (i) में विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"फुल बॉडी बस (52/54 बैठने की क्षमता)	मिनी बस (30/32 बैठने की क्षमता)
₹ 25000/-	₹ 12500/-";

(ख) खण्ड (i) के बाद, निम्नलिखित टिप्पण रखा जायेगा, अर्थात् :—

"**टिप्पण**—सहकारी परिवहन समितियों की बसों के पुराने संचालकों को उनके परमिट की समाप्ति तक नई स्कीम के लिए तथा उनके सम्बन्धित प्रवर्गों में पुराने दर के भुगतान पर रूट या पुराने रूट पर चलाने के लिए पसन्द चुनने का विकल्प होगा।"।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।